Professors और सारा Central University System, जो हम अभी नई Central Universities बना रहे हैं, वहां हम faculty को पूरी स्वायत्ता दे रहे हैं कि जो भी कोर्स पढ़ाना चाहें, वे पढ़ाएं और ये research universities होंगी, इनमें जो effort होगा, research पर होगा। माननीय सदस्य ने यह सही कहा कि हम, we are really lagging behind in research. अगर आप विश्व के स्तर से देखें, our contribution to research is only 2.20 per cent of the total research all over the world. This is very little. China, which was below us some years ago, has increased its contribution to 20 per cent. We need to invest more money in research and development. That is why, this Task Force was set up, and we believe that in ten years' time, आज जो 5,000 की संख्या है, हम उसको 35,000 तक ले जाएंगे, यह हमारी सोच है।

कीटनाशकों के समुचित प्रयोग के बारे में जानकारी का अभाव

*223. **श्री कप्तान सिंह सोलंकी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसानों को कीटनाशकों के प्रयोग के तरीकों की समुचित जानकारी के अभाव में देश को प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण आदि कराया है;

(ग) क्या सरकार पैदावार बढ़ाने तथा किसानों को कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में निजी कंपनियों से भी सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हालांकि किसानों द्वारा कीटनाशकों के उपयोग के बारे में उचित जानकारी के अभाव के कारण हानि संबंधी कोई विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है, अनुमान दर्शाते हैं कि कीट कृमियों, रोगों और खरपतवारों के कारण फसल हानि प्रति वर्ष 10 से 30 प्रतिशत के बीच होती है, जो कृमि आक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है।

(ग) सरकार 'कृमि प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण' नामक स्कीम तथा अन्य स्कीमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बृहत कृषि प्रबंधन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य मिशन आदि के माध्यम से उपयुक्त घटकों के तहत समेकित कृमि प्रबंधन की रणनीति के जरिए पौध रक्षण मुद्दों की ओर ध्यान देता है।

(घ) और (ङ) सरकार कीटनाशक उद्योग को समय-समय पर प्रशिक्षण तथा बीज उपचार पहलों में सहयोजित करती रही है।

Lack of information for proper use of pesticides

†*223. SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that country is bearing a loss of about Rs. 30,000 crores per year due to lack of proper information about use of pesticides by farmers;

(b) if so, whether Government has conducted any survey, etc. in this regard;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether Government is formulating any scheme to increase the yield and educate farmers about use of pesticides;

(d) whether Government is also contemplating to take help from private companies in this regard; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. K.V. THOMAS): (a) to (e) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) While there are no specific scientific studies on loss due to lack of proper information about use of pesticides by farmers, estimates indicate crop losses due to insect pests, diseases and weeds range between 10 to 30 per cent annually, depending on severity of pest attack.

(c) The Government addresses plant protection issues through the strategy of Integrated pest Management under the scheme 'Strengthening and Modernization of Pest Management Approach' and suitable interventions through other schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Macro Management of Agriculture, National Horticulture Mission, National Food Security Mission etc.

(d) and (e) The Government has been associating the pesticide industry in training and seed treatment initiatives from time to time.

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें एक ओर माननीय मंत्री जी का कहना है कि "सरकार कृषि प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण' नामक योजना तथा अन्य योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बृहत कृषि प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि के माध्यम से उपयुक्त घटकों के तहत समेकित कृमि प्रबंधन की रणनीति के जरिए पौध रक्षण मुद्दों की ओर ध्यान देती है..." लेकिन, इसके बावजूद प्रतिवर्ष 10 से 30 प्रतिशत हानि राष्ट्रीय कृषि को हो रही है और इतनी योजनाएं चलाने के बावजूद देश में लगातार अपमिश्रित और नकली उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशियों की बिक्री और उपयोग का मामला बढ़ता जा रहा है। इतने कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार कहीं न कहीं फेल साबित हुई है? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए किन्हीं अधिकारियों की किसी प्रकार की जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर रही है, ताकि जो योजनाएं चल रही हैं ...

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लें।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : जो इतनी सब योजनाएं चल रही हैं, इनके अच्छे और लाभकारी परिणाम सामने आए?

श्री शरद पवार : सभापति जी, इसमें कुछ जिम्मेदारी भारत सरकार की है और कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर होती है। Insects और disease को कंट्रोल करने के लिए जिस pesticide की उपयुक्तता है, उस pesticide के registration की जिम्मेदारी सैंट्रल गवर्नमेंट की है और राज्य में वह ठीक तरह से इस्तेमाल होता है या नहीं, इसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, कोई गलत pesticide तो नहीं बेच रहे, इन सब के बारे में ध्यान और निगरानी रखने की जिम्मेदारी District Agriculture Officer, जो राज्य सरकार के अंडर काम करते हैं, इन लोगों की होती है। यह जो 30% यहां information आ गई, यह कोई खास scientific information भारत सरकार के पास नहीं है। Disease फसलों पर कितनी है, इसका surveillance करने के

लिए हर राज्य में स्टाफ एप्वाइंट किया जाता है और हर हफ्ते राज्य सरकार भारत सरकार को inform करती है कि अपने राज्य में आज disease के बारे में क्या स्थिति है। कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कहीं कोई समस्या पैदा हुई, तो इस बारे में क्या कदम उठाना है, इसका निर्णय यहां हर हफ्ते, हर Monday को एग्रीकल्चर सैक्रेट्री की अध्यक्षता में Crop Watch Group नामक संगठन देखता है .....।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जहां कुछ कमियां हैं और corrective measures लेने की आवश्यकता है, उस तरह के corrective measures लिए जाते हैं। यह परमानेंट युक्ति भारत सरकार ने रखी है और इससे किसानों को और राज्य सरकारों को मदद मिलती है।

श्री कप्तान सिंह सोलंकी : सभापति जी, क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि समूचे उत्तर भारत में कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से किसानों में भी कैंसर जैसे घातक रोगों के लक्षण पाए जा रहे हैं? इन कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए तथा किसानों को इनके द्वारा पैदा होने वाले खतरे के विषय में अवगत कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री शरद पवार : सभापति जी, किस pesticide का इस्तेमाल करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, यह decision किसान अपने लेवल पर लेता है, उसको जो सलाह लोकल लेवल पर मिलती है, उसके आधार पर लेता है। किसी pesticide का कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर हो या और कुछ हो, ऐसी शिकायत जब आती है, तब उसे continue किया जाए या न किया जाए, इस बारे में भी सोचा जाता है। कई ऐसे pesticides हैं, जो हिंदुस्तान में ban किए गए हैं, इनके इस्तेमाल की इजयज़त किसानों को नहीं है, किसी को नहीं है - न प्रोड्यूस करने की, न बेचने की, लेकिन जब कई जगहों पर आवश्यकता से ज्यादा कीटनाशकों की spraying होती है या प्रयोग होता है, तब इसका कुछ न कुछ असर जरूर होता है। कीटनाशक तैयार करने वाली सभी कंपनियों के ऊपर यह बंधन होता है कि उनका जो प्रॉडक्ट है, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस लेवल तक इस्तेमाल करना चाहिए, उसके इस्तेमाल में क्या precaution लेना चाहिए, यह बात बिल्कुल साफ करके, लिखित रूप में प्रॉडक्ट के साथ रहनी ही चाहिए और अपेक्षा यह की जाती है कि जो कोई इसका इस्तेमाल करेगा, वह इन instructions को पढ़कर इस्तेमाल करेगा और इसका गलत इस्तेमाल न हो, इस पर ध्यान देगा।

SHRI P. RAJEEVE: Mr. Chairman, Sir, all over the world, the concept of organic farming is strengthening now. The continuous usage of fertilizers and pesticides actually adversely affects the fertility of the land and the health of the people. So, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plans to change its thrust from the usage of pesticides to organic farming by giving more subsidy and assistance to the Local Self Governments through the State Governments.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, about four years back, the Government of India introduced a scheme to support the organic farming. There is some financial support, there is encouragement, and, we would like to encourage organic farming. But one should not forget one very important thing that it is the responsibility of all of us to provide substantial quantity of foodgrains which will resolve the food security problems.

So, for the sake of food security, it is not possible just to follow one path, that is, organic farming. Organic farming is definitely useful. The Government is encouraging organic farming but the productivity is also equally important and for the sake of productivity, there are other alternatives, which also we cannot by-pass.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक कीटनाशक हैं, उनके उपयोग के ऊपर लगातार नज़र रखी जाती है और इस बात की समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाती है तथा हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 'endosulfan' नामक एक कीटनाशक, जो विश्व के अनेक देशों में वर्षों तक इस्तेमाल होता रहा, बाद के वर्षों में लोगों के स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए, विश्व के लगभग 60-70 देशों ने उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में आज भी एंडो सल्फान बहुत सारी फसलों के ऊपर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले अनेक वर्षों में वैज्ञानिकों ने भी और अन्य लोगों तथा किसानों ने भी इस बात की मांग की है कि एंडो सल्फान नामक इस कीटनाशक का उपयोग भारत में भी अन्य देशों की तरह प्रतिबंधित किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस दिशा में भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया है, यदि नहीं तो क्यों नहीं लिया है और अगर निर्णय होने की स्टेज पर है, तो सरकार क्या निर्णय लेगी?

श्री शरद पवार : एंडो सल्फान के बारे में यह controversy पिछले कई सालों से शुरू है और इसकी शुरुआत केरल से हुई। केरल सरकार ने अपने राज्य में एंडो सल्फान बेचने पर restriction लगया और ban भी किया। उन्होंने इसका पता करने के लिए एक कमेटी appoint की कि इसका असर कितना बुरा होता है और क्या-क्या होता है। इस कमेटी की रिपोर्ट एंडो सल्फान के प्रयोग करने के खिलाफ नहीं आई। उन्होंने यह सजेशन दिया कि इसमें precaution लेने की आवश्यकता है। केरल सरकार की तरफ से फिर एक कमेटी appoint की गई। इसकी रिपोर्ट भी एंडो सल्फान के प्रयोग के खिलाफ नहीं आई। भारत सरकार ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी appoint की। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी इस तरह की नहीं आई कि इसको ban करना चाहिए। एंडो सल्फान की कई फसलों पर उपयुक्तता है, यदि इसका सीमित इस्तेमाल किया गया। यह बात सच है कि दुनिया के कई देशों में एंडो सल्फान पर ban किया गया है, लेकिन agriculture के क्षेत्र में जो important countries हैं, वहां एंडो सल्फान को इजाजत दी गई है। जिनमें चीन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील और आस्ट्रेलिया आते हैं। जिनमें एक uniform policy है। पांच-छः देशों ने इस पर कुछ decision लिया और इसको स्वीकारा है, इसलिए यहां भी हमें इस प्रकार का decision लेना चाहिए। यहां के एक्सपर्ट ने यहां ऐसा नहीं स्वीकार किया है, इसलिए यहां इस पर ban नहीं किया गया है।

श्री सभापति : श्री अवतार सिंह करीमपुरी।

SHRI P. RAJEEVE: Sir, ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: No second question, please. I am sorry.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: No. *(Interruptions)* Mr. Rajeeve, you had your turn. If you are not satisfied with the answer, there is a procedure for it.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि '..no specific scientific studies on loss due to lack of proper information about use of pesticides by farmers..' मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि देश के सामने यह बहुत गंभीर challenge है। इस देश में pesticides की ज्यादा मात्रा में यूज करने से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या माननीय मंत्री जी हाउस को यह assurance देंगे कि जो specific scientific study अभी तक नहीं कराई गई है, सरकार specific scientific study करवा कर आगे कोई preventive measures और educational front पर इसका यूज करने के बारे में कुछ प्रोग्राम तैयार करेगी?

श्री शरद पवार : महोदय, इसकी scientific study हमेशा होती ही रहती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ pesticides का रजिस्ट्रेशन ही अपने देश में refuse किया हुआ है। There are about 27 pesticides, जिनका formulation इंडिया में ban किया गया है, यह study के बात पता चला कि इसका जो impact और repercussion है, वह ठीक नहीं है। एक्सपर्ट जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं, तभी इस तरह का recommendation करते हैं और इसको banning करते हैं। इसलिए कोई भी pesticides की जांच किए बिना इस देश में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसकी आवश्यकता कितनी है और इसका बुरा impact कितना होगा या नहीं होगा, यह study करके ही इसके बारे में recommendation आती है और फिर बोर्ड इस पर रजिस्ट्रेशन देती है।

Implementation of Right to Education Act

*224. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after passing of the Right to Education Act, there has been no headway on account of funding of programmes by States;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether Government has convened a meeting recently with State Governments to resolve a number of issues for implementation of the Act; and

(d) if so, the details and outcome of the meeting?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 was published for general information in the Gazette of India on 27th August, 2009. The Act has not yet come into force. On the request of Government, the National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) has prepared financial estimates of Rs.1,71,484 crore for a period of five years from 2010-11 to 2014-15. The funds required for implementation of the Act would be shared between the Centre and the States in accordance with the provisions of section 7 of the Act.

(c) The Right of Children of Free and Compulsory Education Act, 2009 was discussed with Education Ministers of States and education experts in the meeting of the Central Advisory Board on Education (CABE) held on 31st August, 2009. In addition, a Committee set up by the Government to suggest follow-up action on Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) vis-a-vis the Right of Children to free and Compulsory Education Act has held discussions with representatives of the State Governments on various aspects of the Act.

(d) The State Governments have endorsed the provisions of the Act and have requested for adequate financial outlays for implementation.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत विस्तार से लिखा है कि इसके लिए राष्ट्र केंद्र सरकार का आभारी है। बच्चों को फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए यह जो कानून बना है, तो बच्चों के लिए ऐसे और भी बहुत से कानून बने हैं, लेबर में भी बहुत से कानून बने हैं। इस